खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) (क) से (ग) : राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही हैं और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Official Language (Legislative) Commission

5187. SHRI S. A. AGADI.
SHRI M. V. RAJASEKHARAN :

Will the Minister of LAW be pleased to state :

(a) when the Official Language (Legislative) Commission was appointed by the Central Government for translating English statutes :

(b) the names of Acts translated each year;

(c) the total amount spent on the Commission during each year since its appointment; and

(d) the number of pages of Statutes that remain to be translated, the time it is likely to take and the estimated expenditure involved ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI M. YUNUS SALEEM) : (a) The Official Language (Legislative) Commission was constituted on the 8th June, 1961, in pursuance of Order of the President, dated the 27th April, 1960, issued under clause (6) of article 344 of the Constitution.

(b) A Statement showing the names of Acts translated each year is placed on the Table of the House. [*Placed in Library See* No.-LT-2791/68]

(c) The total expenses incurred on the Commission each year since its constitution, is as follows :

Year	Amount
1961-62	Rs. 1,85,535
1962-63	Rs. 5,33,003
1963-64	Rs. 6,66,559
1964-65	Rs. 9,22,924
1965-66	Rs. 9,37,509
1966-67	Rs. 8,78,500
1967-68	Rs. 16,74,538
1968-69	Rs. 13,04,000 (Provision included in the Budget Grants of the Commission)

(b) About 11,400 pages of the Central Acts remain to be translated, it will take about 5 years to complete the translation. An expenditure of about Rs. 70,00,000/- is estimated to be incurred on the Commission as a whole during the period of 5 years.

पौड़ी गढ़वाल में तारों और मनीआर्डरों के देर से पहुंचने के बारे में शिकायतें

5188. श्री राम चरण :
श्री झा सुन्दर लाल :
श्री शारदा नन्द :

क्या संचार मंत्री दिनांक 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 5031 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के डाक व तार विभाग को कोई शिकायत मिली है कि जिला पौड़ी गढ़वाल में तार, मनीआर्डर तथा पत्र समय पर वितरित नहीं किये जाते तथा 20 अथवा 25 दिन बाद वितरित किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डेलचोड़ी, डाकघर पौड़ी गढ़वाल में डाक स्टेशनरी की कमी

5189. श्री राम चरण :
श्री झा सुन्दर लाल :
श्री शारदा नन्द :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :